राजभाषा हिन्दी का विकास

B.A. I

हिन्दी भाषा

:: प्रस्तुतकर्ता ::

डॉ. जगदीश शरण

सहायक प्रोफ़ेसर हिन्दी

राजकीय महाविद्यालय भोजपुर

(मुरादाबाद)

:: स्वयंनिर्मित ::

Scanned with CamScanner

राजभाषा हिन्दी का विकास : अपने व्यापक प्रसार एवं प्रचार के फलस्वरूप हिन्दी भारत की स्वयंसिद्ध राष्ट्रभाषा है। डॉ० कैलाश चन्द्र भाटिया के अनुसार जब तक भारत में राजसत्ता पर आसीन विदेशियों को भारत का सांस्कृतिक स्वरूप मोह न सका; क्योंकि भारतीय जनता से उनका सम्बन्ध शासक-शासित का था। उनका दृष्टिकोण, उद्देश्य और कार्यकलाप एक सीमित क्षेत्र में था, विशुद्ध राजनीतिक लक्ष्य-प्राप्ति तक। वह भी अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य और कूटनीति की भाषा के माध्यम से तत्कालीन शासन प्रणाली में स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात् निर्मित संविधान के अन्तर्गत शासन प्रणाली में जमीन-आसमान का अन्तर था। स्वतंत्रता पूर्व शासन के सूत्रधार इंग्लैण्ड में थे, जबकि संविधान को अंगीकार करने के बाद प्रत्येक नागरिक को मताधिकार प्राप्त हुआ और वह लोकतांत्रिक शासन का प्रहरी तथा कल्याणकारी राज्य बना। उस समय विदेशी सरकार उसी भाषा का प्रयोग कर रही थी जिसे अधिकांश भारत न तो समझता था और न समझ सकता था। स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद एक या अनेक भाषा-भाषाओं का उपयोग किया जा सकता था, जो राज्य के कार्यकलापों में प्रत्येक नागरिक की अभिव्यक्ति, रुचि और विचार आदान-प्रदान का साधन बन सके और सहायक हो; अनेकता के बीच एकता के प्रमाण-प्रतीक भारत का प्रतिनिधित्व कर सके और इस राष्ट्र की आत्मा को व्यक्त कर सके, राष्ट्र के विभिन्न वर्गों और तत्वों की भाषा बन सके; राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विचारों की वाहिका बन सके। हिन्दी इस रूप में अनन्तकाल से देश के विभिन्न भाषा-भाषियों के बीच एक सेतु का कार्य सम्पादन करती चली आ रही थी। उसकी इस प्रवृत्ति और चेतना को हमारे संविधान निर्माताओं ने पहचाना और हिन्दी को ही राजभाषा के रूप में मान्यता देकर उसका यथोचित सम्मान किया। इस सम्मान का कारण था कि हिन्दी अन्य सभी क्षेत्रीय भाषाओं की अपेक्षा सबसे अधिक बोली और समझी जाती थी।

Scanned with CamScanner

हिन्दी देश के पचास प्रतिशत से अधिक देशवासियों की भाषा है, मातृभाषा है। संस्कृत से विकसित हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में (दक्षिणी राज्यों और पूर्वांचल के राज्यों को छोड़कर) अन्य सभी राज्यों का शासन-कार्य सम्पन्न होता है। हिन्दीतर भाषी क्षेत्रों में भी डाकघर, रेलवे स्टेशन, बाज़ारों, तीर्थस्थानों में, जहाँ अंगरेजी का प्रवेश कम है, वहाँ हिन्दी ही समझी जाती है। अन्य आर्य भाषाओं के सामीप्य के कारण हिन्दी को आसानी से सीखा जा सकता है। यहाँ तक कि द्रविड़ भाषाओं का शब्द-भण्डार भी सम-स्रोतीय और सम-विकासक्रमीय है। यह मान्यता उसकी साहित्यिक श्रेष्ठता, उपलब्धियों या विशेषताओं के कारण नहीं मिली है, वरन मिली है उसकी सार्वभौमिकता व सार्वदेशिकता, उसकी सरलता और वैज्ञानिकता के कारण, वर्षों से उसके अपने कार्य के कारण, देश को एकता के सूत्र में बाँधने के कारण, एकीकरण का शंखनाद करने के कारण।

— हिन्दी भाषा, विकास और स्वरूप, पृ० 160-61

<u>भारतीय संविधान और हिन्दी</u> : भारतीय संविधान में की आठवीं अनुसूची के अनुच्छेद 344 (1) और 351 के अनुरूप भारत की निम्नलिखित भाषाओं को सूची में रखा गया है :

1- असमिया
2. उड़िया
3. उर्दू
4- कन्नड़
5. कश्मीरी
6. गुजराती
7 तमिल
8. तेलुगु
9. पंजाबी
10. बंगला
11- मराठी
12. मलयालम
13. संस्कृत
14. हिन्दी

Scanned with CamScanner

बाद में सिन्धी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी इन भाषाओं को उक्त अनुसूची में जोड़ा गया। डॉ० कैलाश चन्द्र भाटिया के अनुसार, राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रयोग की व्यवस्था करते समय सरकार ने इस बात का पूरा-पूरा ध्यान रखा कि हिंदी अंग्रेजी का स्थान इस भाँति ले जिससे हिंदी न जाननेवाले अहिन्दी भाषी अधिकारियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसीलिए सन् 1952 एवं 55 के राष्ट्रपति के आदेशों द्वारा धीरे-धीरे कुछ कार्यों के लिए अंग्रेजी के अलावा हिंदी के प्रयोग की अनुमति दी गई। यथा- राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 343(2) के अधीन 27 मई, 1952 को एक आदेश जारी किया जिसमें राज्यों के राज्यपालों, उच्चतम न्यायालय के न्यायधीशों तथा उच्च न्यायालयों के न्यायधीशों के नियुक्ति अधिपत्रों के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी और अन्तर्राष्ट्रीय अंकों के अतिरिक्त देवनागरी अंकों के प्रयोग को प्राधिकृत किया। सन् 1955 में राष्ट्रपति ने 'संविधान (सरकारी प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा) आदेश' नामक एक और आदेश निकाला, जिसमें संघ के निम्नलिखित सरकारी प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी के प्रयोग को प्राधिकृत किया, यथा- जनता के साथ पत्र-व्यवहार, प्रशासनिक रिपोर्टें, सरकारी पत्रिकाएँ और संसद में प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्टें, सरकारी संकल्प और विधायी अधिनियमितताएँ, जिन राज्य सरकारों ने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में अपना लिया है उनके साथ पत्र-व्यवहार, संधियाँ और करार, अन्य देशों की सरकारों और उनके दूतों और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के प्रतिनिधियों को जारी किए जाने वाले औपचारिक कागज-पत्र। संवैधानिक उत्तरदायित्वों के निर्वाह के लिए सरकार ने व्यापक तैयारियों का श्रीगणेश किया। तत्कालीन प्रशासनिक साहित्य के अनुवाद, प्रशासन की शब्दावली के सम्बन्ध में कदम उठाते हुए वैज्ञानिक पारिभाषिक शब्दावली के लिए शिक्षा मंत्रालय में 'हिन्दी एकक' की स्थापना की जिसके अन्तर्गत हिंदी सम्बन्धी सभी प्रकार के कार्य प्रारम्भ किए गए। आगे चलकर इसी आधार पर वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग तथा केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की स्थापना की गई।

संविधान के प्रमुख अनुच्छेद : 26 नवम्बर, सन् 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को आत्मार्पित किया। 26 जनवरी, सन् 1950 को यह संविधान लागू हुआ। इसी तिथि को हिन्दी को राष्ट्रीय स्तर पर राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता मिली।

संविधान का 2, 6 तथा 17 वाँ भाग — इनमें राजभाषा सम्बन्धी प्रावधानों का जिक्र है। भाग 2 के अनुच्छेद 120 में संघ की भाषा तथा भाग छः के अनुच्छेद 210 में राज्य की विधान सभाओं के सम्बन्ध में विशेष निर्देशों की चर्चा है।

संविधान का प्रथम अध्याय — संघ की भाषा की चर्चा। अनुच्छेद 343, 344 में की गई है।

द्वितीय अध्याय - अनुच्छेद 345, 346, 347; प्रान्तीय भाषाओं के प्रयोग के सम्बन्ध में निर्देश।

तृतीय अध्याय — अनुच्छेद 348, 349; उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालयों की भाषा-सम्बन्धी निर्देश।

चौथा अध्याय — अनुच्छेद 350, 351, हिन्दी भाषा के विकास सम्बन्धी दिशा-निर्देश।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 खण्ड (1) में स्पष्ट किया गया है —

"संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी और संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अन्तरर्राष्ट्रीय रूप होगा।"

खण्ड (2) में यह स्पष्ट है —

"इस संविधान के प्रारम्भ से पन्द्रह वर्ष की कालावधि के लिए संघ उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग की जाती रहेगी, जिनके लिए इसके ठीक पहले वह प्रयोग की जाती थी।"

Scanned with CamScanner